भारतीय दण्ड प्रक्रिया नियमावली, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश

मुझे ऐसा ज्ञात/संज्ञान हुआ है कि जिला कैथल की सीमा के अन्दर गेंहू की फसल की कटाई कम्बाईन मशीन से करवाने के पश्चात इसके अवशेषों को जला दिया जाता है। इन अवशेषों को जलाने से होने वाले प्रदूषण से मनुष्य के स्वास्थ्य, संपत्ति की हानि, तनाव, क्रोध या मावन जीवन को भारी खतरे की सम्भावना रहती है, जबकि उन अवशेषों से पशुओं के लिए तुडा बनाया जा सकता है। इसके जलाने से चारे की कमी भी हो सकती है।

अतः दण्ड प्रक्रिया नियमवाली, 1973 की धारा 144 द्वारा पारित प्रदत शक्तियों के अन्तर्गत मैं, सुजान सिंह, भा0प्र0से0, जिलाधीश, कैथल तुरन्त प्रभाव से समस्त कैथल जिले में गेंहू की फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाने पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगाता हूं।

आपातकालिन स्थिति व समय की कमी तथा परिस्थितियों के दृष्टिगत मैं यह आदेश सम्बन्धित व्यक्तियों की अनुपस्थिति में पारित करता हूं तथा यह जन सामान्य को सम्बोधित करता हूं।

इस आदेश का जिला कैथल में ढोल बजाकर, जिला लोक सम्पर्क विभाग की वैन/जीप द्वारा मुनादी करवाकर तथा जिला कचैहरी, उपमण्डल कचैहरी तथा सार्वजनिक स्थानों व पुलिस स्टेशनों पर नोटिस चस्पा करके प्रचार किया जाए।

उपरोक्त आदेशों की अहवेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 संपठित वायु एवं प्रदुषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत दण्ड का भागी होगा।

उपरोक्त आदेशों की पालना उप–निदेशक, कृषि, कैथल व जिले के समस्त थाना प्रभारी अपने–अपने नियन्त्रण क्षेत्र में सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 6th अप्रैल, 2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।

DISTRICT MAGISTRATE KAITHAL

जिलाधीश, कैथल।

पृ0 क्रमांक 18369-488/एम0ए0 दिनांक 06-04-2021

इसकी एक–एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है:–

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ।
2. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, गृह/राजस्व विभाग, चण्डीगढ।
3. आयुक्त, अम्बाला मण्डल, अम्बाला छावनी।
4. महा निदेशक, कृषि विभाग, हरियाणा, पंचकूला।
5. महानिदेशक पुलिस, हरियाणा, पंचकूला।
6. महानिरीक्षक पुलिस, करनाल मण्डल, करनाल।
7. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कैथल।
8. राज्य के सभी उपायुक्त।
9. अतिरिक्त उपायुक्त, कैथल।
10. पुलिस अधीक्षक, कैथल।
11. उपमण्डल अधिकारी (ना0), कैथल/गुहला।
12. जिला राजस्व अधिकारी/जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, कैथल।
13. जिला के सभी तहसीलदार/नायब तहसीलदार।
14. जिला सूचना एवं लोक सम्पर्क अधिकारी, कैथल।
15. कार्यकारी अधिकारी, नगरपरिषद/उप निदेशक, कृषि, कैथल।
16. जिला के सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी।
17. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, कैथल–वेबसाईट पर अपलोड करने हेतू।
18. आशुलिपिक/उपायुक्त।

जिलाधीश, कैथल।